भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2465

10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय : प्रभावित किसानों को सहायता

2465. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजमः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मणिपुर में वर्तमान संकट के दौरान खेतों पर कार्य करने में असमर्थता के कारण किसानों को हुई हानि की मात्रा का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने मणिपुर में प्रभावित किसानों की समस्या के समाधान हेतु, किसानों को हुए नुकसान की तुलना में किसानों को वित्तीय सहायता अथवा अन्य प्रकार की सहायता सहित मुआवजा देने के लिए उपाय किए हैं अथवा उपाय करने का विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार मणिपुर में प्रभावित किसानों की सहायता के लिए विशिष्ट योजनाएं आरंभ करने पर विचार कर रही है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): कृषि राज्य का विषय है, तथापि, भारत सरकार कृषि क्षेत्र की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं तथा किसानों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को ध्यान में रखते हुए योजनाओं और कार्यक्रमों की एक व्यापक श्रृंखला को कार्यान्वित कर रही है। ये योजनाएं और कार्यक्रम मणिपुर सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू हैं और इनमें ऋण, बीमा, आय सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर, बागवानी सहित फसलें, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसलों की खरीद, डिजिटल कृषि आदि सहित कृषि के संपूर्ण क्षेत्र को शामिल किया गया है।

अगस्त 2023 में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने मणिपुर सरकार को मौजूदा कानून और व्यवस्था संकट से प्रभावित पीड़ितों/व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास की योजनाएँ चलाने के लिए 209.45 करोड़ ₹ का समग्र विशेष पैकेज स्वीकृत किया। इसमें मौजूदा कानून और व्यवस्था संकट से प्रभावित किसानों के लिए 38.60 करोड़ ₹ की राशि का प्रतिपूरक पैकेज शामिल है। मणिपुर सरकार के अनुरोध पर अब तक, इसके लिए 31.67 करोड़ ₹ की राशि जारी की जा चुकी है।

*****